



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3575]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2018/भाद्र 20, 1940

No. 3575]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018/BHADRA 20, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

का.आ. 4724(अ).—आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और पुर्तगाली गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय, जिस पर 11 सितंबर, 1998 को लिस्बन में हस्ताक्षर किए गए थे, का संशोधन करने वाले प्रोटोकाल पर 24 जून, 2017 को लिस्बन में हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसा इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध में उपवर्णित है और जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संशोधनकारी प्रोटोकाल कहा गया है;

और उक्त संशोधनकारी प्रोटोकाल के प्रवृत्त होने की तारीख, जो 8 अगस्त, 2018 है वह उक्त संशोधनकारी प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3 के अनुसार उक्त संशोधनकारी प्रोटोकाल को प्रभावी करने के लिए आंतरिक विधिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात् तीसवां दिन होगा;

अतः अब केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकाल के सभी उपाबंध 8 अगस्त, 2018, से उस तारीख को जिसको उक्त संशोधनकारी प्रोटोकाल प्रवृत्त हुआ था, भारत संघ में प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं43/फा.सं. 503/05/1991-एफटीडी-।]

प्रजा एस.सक्सेना, संयुक्त सचिव

उपाबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपबन्धन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा पुर्तगाल गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय का संशोधनकारी प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार तथा पुर्तगाल गणराज्य की सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपबन्धन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा पुर्तगाल गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय (जिसे इसके बाद "अभिसमय" कहा गया है), जिस पर 11 सितंबर, 1998 को हस्ताक्षर किये गये थे, को संशोधित करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद।

अभिसमय के अनुच्छेद 26 के पाठ को हटाया गया और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया:

“1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक या प्रशासनिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचनाओं का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करें।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद II

संविदाकारी राज्य अभिसमय के प्रोटोकॉल में निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल करने के लिए सहमत हैं:

“अनुच्छेद 26 के संदर्भ में

आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता अभिकरण अनाधिकृत पहुंच, अनाधिकृत परिवर्तन तथा अनाधिकृत प्रकटन के प्रति आपूर्ति किए गए व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए बाध्य होंगे।”

अनुच्छेद III

यह प्रोटोकॉल प्रत्येक संविदाकारी राज्य में इस प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने के लिए आवश्यक आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा होना दर्शाने वाली राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान किए जाने की तिथि के बाद से तीसवें दिन प्रभावी होगा।

अनुच्छेद IV

यह प्रोटोकॉल इस अभिसमय का अभिन्न अंग होगा तथा यह तब तक लागू रहेगा जब तक यह अभिसमय लागू रहेगा,

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

लिस्बन में 24 जून वर्ष 2017 तारीख को हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इस प्रोटोकॉल की प्रयोज्यता अथवा व्याख्या में किसी अंतर के मामले में, अंग्रेजी पाठ प्रामाणिक होगा।

**भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से**

**पुर्तगाल गणराज्य की
सरकार की ओर से**

**क. नंदिनी सिंगला
पुर्तगाल में भारत के राजदूत**

**फ्रांसिस्को ड्युआर्टे लोपेज
महानिदेशक विदेश निति**

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2018

S.O. 4724 (E).—Whereas, the Protocol, amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Portuguese Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income which was signed at Lisbon on the 11th September, 1998, has been signed at Lisbon on 24th June, 2017, as set out in the annexure appended to this notification and hereinafter referred to as the said amending Protocol;

And whereas, the date of entry into force of the said amending Protocol is the 8th August, 2018 being the thirtieth day after the completion of the internal legal procedures for giving effect to the said amending Protocol in accordance with Article III of the said amending Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said amending Protocol, shall have effect in the Union of India with effect from the 8th August, 2018, being the date on which the said amending Protocol entered into force.

[Notification No 43/F.No. **503/05/1991-FTD-I**]

PRAGYA S. SAKSENA, Jt. Secy.

ANNEXURE

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Republic of India and the Portuguese Republic

Desiring to amend the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Portuguese Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, which was signed on the 11th September 1998 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Agree as follows:

ARTICLE I

The text of Article 26 of the Convention is deleted and replaced by the following:

“1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation there under is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the

information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

ARTICLE II

The Contracting States agree to include the following paragraph in the Protocol to the Convention:

“ Ad article 26

The supplying and the receiving agencies shall be obliged to take effective measures to protect the personal data supplied against unauthorized access, unauthorized alteration and unauthorized disclosure”

ARTICLE III

This protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which diplomatic notes indicating the completion of internal legal procedures necessary in each Contracting State for the entry into force of this Protocol have been exchanged.

ARTICLE IV

This Protocol shall form an integral part of the Convention and shall remain in force as long as the Convention remains in force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Lisbon on this 24th day of June 2017, in the Hindi, Portuguese, and English languages, each text being equally authentic. In the case of any divergence of interpretation or application of this Protocol, the English text shall prevail.

**For the Government of the
Republic of India**

**For the Government of the
Portuguese Republic**

Smt. K. Nandini Singla

Mr. Francisco Duarte Lopes

**Ambassador of Republic of India
in Portugal**

**Director-General of External Policy of the
Ministry of Foreign Affairs**